न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या 06/2023 (2023/594)

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

पुखराज सैन पुत्र शंकरलाल सैन, फर्म मैसर्स दिनेश किराणा स्टोर, सांवलो जी के मन्दिर के पास, गांव घेवड़ा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर निवासी गांव घेवड़ा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

उपस्थिति

अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित।

—:आदेश :— दिनांक :— 24.06.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.10.2021 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिग फर्म मैसर्स दिनेश किराणा स्टोर, सांवलो जी के मन्दिर के पास, गांव घेवड़ा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया। इस समय दुकान पर विक्रेता व मालिक की हैसियत से पुखराज सैन उपस्थित मिले तथा आम जनता को किराणा खाद्य सामाग्री एवं घी आदि विक्रय कर रहे थे। उक्त विक्रेता/मालिक से वर्ष 2021 का खाद्य अनुज्ञा—पत्र मांगा, इन्होने एफएसएसआई अनु0 22201074002657 पेश किया। दुकान का निरीक्षण करने पर एक स्टील टंकी में घी करीबन 10 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिए रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र एवं 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को 300 रूपये नगद देकर घी 800 ग्राम वास्ते जांच नमूनीकरण हेतु एक साफ सुखे

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:34 IST
Reason: SelfAttested

खाली स्टील भगोनी में खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने घी को हिला मिला कर एक रूप कर चार साफ सुखी प्लास्टिक की बोतल में बराबर–बराबर मात्रा में डालकर एयर टाईट बन्द कर इन भागों हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–2658 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–2658 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–2658 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की, असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर [illegible] विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:34 IST
Reason: SelfAttested

किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 19.10.2021 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–2658 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 18.10.2021 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 18.10.2021 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 484–485 दिनांक 25.10.2021 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस. / 644 / एक्ट / 2021 / 742 दिनांक 25.10.2021 मुझे प्राप्त हुई। उक्त सैम्पल की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub-Standard as fatty acid profile of sample does not match with fatty acid profile of ghee) होना पाया गया। अप्रार्थीगण ने एफ0 एस0 एस0 एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लघंन किया है जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गौरव भाटी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा गत 2 वर्षो से जवाब हेतु समय लिया गया इसके उपरान्त भी अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता का जवाब का अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली बहस हेतु रखी गई लेकिन अप्रार्थी अधिवक्ता बहस हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इस कारण पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स दिनेश किराणा स्टोर, सांवलो जी के मन्दिर के पास, गांव घेवड़ा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु घी का नमूना लिया गया जो जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया। जो एफ.एस.एस. एक्ट की धा[illegible] की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:34 IST
Reason: SelfAttested

होने के कारण धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

अप्रार्थी पुखराज सैन पुत्र शंकरलाल सैन पर शास्ती रूपये 10,000/— अक्षरे दस हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर—अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 24.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

प्रतिलिपीः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

क्रमांकः कोर्ट/एडीएम/जोधपुर(ग्रामीण)/2024/ दिनांक :—

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. पुखराज सैन पुत्र शंकरलाल सैन, फर्म मैसर्स दिनेश किराणा स्टोर, सांवलो जी के मन्दिर के पास, गांव घेवड़ा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर निवासी गांव घेवड़ा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:34 IST
Reason: SelfAttested